कार्यालय,
सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
सी–119, सेक्टर–18, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
Email ID : adf_noida@rediffmail.com

सेवा में,
जिला सूचना अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

दिनांकः 24/01/ ,2020

प0सं0– 311 एफ/विधा0सभा/निर्वा0/गौतमबुद्धनगर

विषय : **दिल्ली संघ राज्य में विधान सभा निर्वाचन, 2020 मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित प्रेस–विज्ञप्ति को जनहित में लोकप्रिय हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें:–

प्रेस–विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या–72/सीईओ–2–7/2–2019 दिनांकः 13 जनवरी, 2020 के आदेशानुसार दिल्ली संघ राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2020 हेतु मतदान दिनांकः 08 फरवरी, 2020 (दिन–शनिवार) को मतदान दिवस पर दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–135(ख) के प्रावधान अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थापित कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मकार, जो दिल्ली क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करते हो व मतदाता हो, उनको उक्त मतदान दिवस पर मताधिकार का प्रयोग करने हेतु सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जिला–गौतमबुद्धनगर में स्थापित कारखानों में दिल्ली संघ राज्य के कार्यरत कर्मकारों को उक्त मतदान दिवस में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु दिनांकः 08 फरवरी, 2020 दिन–शनिवार को सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की जाये तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन कारखानों में कार्यरत कर्मकारों से कोई कार्य नही लिया जायेगा।

भवदीय,

(बृजेश कुमार सिंह)
सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
प्रभारी–नोएडा क्षेत्र, गौतमबुद्धनगर।
दिनांकः 24/01/ ,2020

पत्र सं0– 311 (i) To (iv) एफ/उक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2– निदेशक कारखाना, उ0प्र0, कानपुर।
3– उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0, नोएडा संभाग, गौतमबुद्धनगर।
4– उप श्रमायुक्त,उ0प्र0, गौतमबुद्धनगर।

(बृजेश कुमार सिंह)
सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
प्रभारी–नोएडा क्षेत्र, गौतमबुद्धनगर।